



2026:AHC: 169185-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 16078/2026

नसीम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : इंद्र भान यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा

माननीय न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय

1. मो. इकबाल उर्फ बल्ला, मो. जावेद, मो. वाजिद, मो. अफजाल, अलीशान, नसीम और राय लईक के संबंध में, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी, जिससे थाना - मिर्जापुर, जिला - सहारनपुर में मुकदमा अपराध संख्या 83 वर्ष 2022 उत्पन्न हुआ।

2. जब मामले में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, तो याचिकाकर्ता ने 4 अन्य लोगों के साथ बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र दाखिल किया, जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 22079 वर्ष 2025 (अब्दुल वाजिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य) था, जिसमें मो. नसीम, मो. अफजाल और राय लईक के संबंध में आरोप-पत्र को रद्द कर दिया गया था। हालांकि, जावेद और अलीशान के संबंध में कार्यवाहियां जारी रहनी थीं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 22079 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 4.9.2025 का प्रस्तर संख्या 52 यहां निम्नानुसार उद्धृत किया जा रहा है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"52. जहां तक द.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 32113 वर्ष 2023 (जावेद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य) का संबंध है, आवेदक मो. अफजाल, नसीम और राव लईक के संबंध में कार्यवाहियां और उनके विरुद्ध दाखिल किया गया आरोप-पत्र अपास्त किए जाने योग्य हैं और एतद्वारा रद्द किए जाते हैं और इसलिए, उनके द्वारा दाखिल किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, जबकि आवेदक जावेद और अलीशान द्वारा दाखिल प्रार्थना पत्र गुण-दोष रहित है और एतद्वारा खारिज किया जाता है। इसलिए, द.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 32113 वर्ष 2023 (जावेद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य) आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।"

3. तत्पश्चात 17.2.2026 को, जिलाधिकारी, सहारनपुर ने संपूर्ण कथित गिरोह की कुछ संपत्तियों को कुर्क करते हुए उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत एक आदेश पारित किया। आदेश से संलग्न सूची के क्रम संख्या 12 पर याचिकाकर्ता की संपत्ति है और संपत्ति का विवरण प्लॉट संख्या 283एम के रूप में दिया गया है और जिस दस्तावेज द्वारा संपत्ति खरीदी गई थी उसे 10563/06- के रूप में क्रमांकित किया गया था। मालिक का नाम मो. नसीम पुत्र अब्दुल गफूर, ग्राम मिर्जापुर, पोलथाना, जिला - सहारनपुर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता की यह शिकायत है कि जब उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्यवाहियां याचिकाकर्ता के विरुद्ध आगे नहीं बढ़नी थीं, तो याचिकाकर्ता के संबंध में संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती थी।

5. जब रिट याचिका एक नए वाद के रूप में दाखिल की गई थी, तो हमने 23.7.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्र भान यादव और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान ए.जी.ए. श्री रूपक चौबे को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि अब जब याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, तो याचिकाकर्ता की वर्तमान संपत्ति कुर्क नहीं की जा सकती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. विद्वान ए.जी.ए. जिलाधिकारी, सहारनपुर/प्रत्यर्थी संख्या 2 का एक संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल कर सकते हैं, जिन्होंने कुर्की का आदेश पारित किया है, जिसमें यह दर्शाया जाए कि किन परिस्थितियों में उन्होंने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया है।

4. इस वाद को आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 6655 वर्ष 2026 के साथ, उपयुक्त पीठ के समक्ष, नए के रूप में 30.07.2026 को पुनः सूचीबद्ध करें।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि याचिकाकर्ता की संपत्ति उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14 के अंतर्गत कुर्क नहीं की जा सकती थी, और कुर्की विधि में त्रुटिपूर्ण थी।

7. आज, विद्वान ए.जी.ए. श्री संजय कुमार सिंह ने जिलाधिकारी, सहारनपुर का एक व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल किया है, और न्यायालय को सूचित किया है कि याचिकाकर्ता ने आदेश दिनांक 17.7.2026 के अनुसरण में, यह स्पष्ट करते हुए एक उत्तर दाखिल करने के लिए तीन माह के अतिरिक्त समय की प्रार्थना किया है कि संपत्ति को कुर्क क्यों नहीं किया जा सकता था, और यह अभ्यावेदन/आपत्ति उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अंतर्गत दाखिल किया जाना था।

8. विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल का कथन है कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब तक अभ्यावेदन/आपत्ति दाखिल और निर्णीत नहीं हो जाती, संपत्ति को किसी भी तरीके से व्यय नित नहीं किया जाएगा और कोई तृतीय पक्ष अधिकार आदि सृजित नहीं किया जाएगा।

9. ऐसी परिस्थितियों में, हम यह प्रावधान करते हैं कि यदि याचिकाकर्ता आज से तीन माह की अवधि के भीतर कोई प्रार्थना पत्र/आपत्ति दाखिल करता है तो अगले एक माह के भीतर विधि के अनुसार उस पर विचार किया जाएगा।

10. चार माह की अवधि के लिए या आपत्ति/अभ्यावेदन निर्णीत होने तक, जो भी पहले हो, कोई तृतीय पक्ष अधिकार सृजित नहीं किया जाएगा।

11. इन टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12 अगस्त, 2026

पी.के.

(न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”